



**Don't Underestimate
The Bitcoin**

Gresham's law states that "bad money drives out good." This is why you find people converting their cash to bitcoin as cash is ever depreciating

**Journaling and Feel the
Emotional Benefits**

If you want to
chronicle your feelings,
discover the right type of
journaling for you.

अमेरिका में भारी समर्थन प्राप्त हो रहा है ट्रम्प को "डिपोर्टेशन" नीति का सख्ती से पालन करने के लिये

पिउ रिसर्च द्वारा किये गये सर्वे के अनुसार, 59 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क ट्रम्प के इस निर्णय से सहमत हैं

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 फरवरी। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट करने और अमेरिकी-मैक्सिको सीमा पर सैन्य उपस्थिति को मजबूत करने की राष्ट्रपति ट्रम्प की पहल को जनता का भारी समर्थन मिल रहा है। बड़ी संख्या में अमेरिकन लोग इन क्षेत्रों में ट्रम्प की कार्रवाइयों का समर्थन करते हैं।
प्यु रिसर्च सर्वेक्षण के अनुसार, 59 प्रतिशत अमेरिकी वयस्क उन व्यक्तियों को निर्वासित करने के प्रयासों को मंजूरी देते हैं जो देश में अवैध रूप से रह रहे हैं, जिसमें से 35 प्रतिशत लोग इस नीति का मजबूत समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, 58 प्रतिशत लोग सीमा पर अधिक सैन्य बल भेजने के पक्ष में हैं। जिसमें 35 प्रतिशत लोग इस निर्णय का मजबूत समर्थन करते हैं।
हालांकि, ट्रंप के आप्रवासन संबंधी कार्रवाइयों के अर्थों के अन्य तत्वों को जनता ने खास पसंद नहीं किया है। उदाहरण के लिए, केवल 47 प्रतिशत लोग ट्रंप के उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जिसमें उन शहरों और राज्यों को दी जाने वाली संघीय निधि में कटौती करने

- पर, ट्रम्प के "इमिग्रेशन" से संबंधित अन्य "एज्जीक्युटिव आदेश" को यह समर्थन नहीं मिल रहा। उदाहरण के लिये उन प्रदेशों को केन्द्रीय सहायता (फण्डिंग) कम करने का निर्णय, जो ट्रम्प सरकार की "डिपोर्टेशन" नीति लागू करने में मदद नहीं करते, 52 प्रतिशत लोग इस आदेश के खिलाफ हैं।
- श्वेत अमेरिकी ट्रम्प की इन नीतियों के पक्ष में हैं, पर, अश्वेत अमेरिकियों में इन नीतियों का ज्यादा समर्थन नहीं दिख रहा। एशिया मूल के अमेरिकी, हिस्पैनिक मूल अमेरिकी नागरिकों से ज्यादा समर्थन देते नजर आये, सर्वे के अनुसार।
- रिपब्लिकन पार्टी के 74 प्रतिशत सदस्य मानते हैं, सरकार डिपोर्टेशन नीति के तहत उपयुक्त कार्यवाही कर रही है। जबकि, 73 प्रतिशत डेमोक्रेट्स मानते हैं, ट्रम्प प्रशासन कुछ ज्यादा ही सख्ती दिख रहा है, "डिपोर्टेशन" के मामलों में।

का कहा गया है जो निर्वासन प्रयासों में सहायता नहीं करते, जबकि 52 प्रतिशत लोग इसका विरोध करते हैं। इसी तरह, केवल 44 प्रतिशत लोग उस प्रस्ताव का समर्थन करते हैं जिसमें अमेरिका में बसने की इच्छा रखने वालों के लिए शरण आवेदन पर रोक लगाने की बात की गई है, जबकि 55 प्रतिशत लोग इसका विरोध करते हैं।
जातीय और नस्लीय समूहों में भी ट्रंप की आप्रवासन नीतियों को लेकर अलग-अलग स्तर का समर्थन नजर

आया है। इसमें श्वेत वयस्कों का समर्थन सामान्य रूप से अन्य समूहों की तुलना में अधिक है, खासकर अश्वेत वयस्क प्रशासन की कार्रवाइयों के प्रति सबसे कम समर्थन दर्शाते हैं। हिस्पैनिक (स्पेन आदि देशों के लोग) की तुलना में एशियाई अमेरिकन ट्रम्प की नीतियों के प्रति ज्यादा समर्थन दर्शाया पर उनकी संख्या श्वेत अमेरिकन से कम है। जातीय समूहों में समर्थन में भिन्नताएं होने के बावजूद, राजनीतिक ध्रुवीकरण की अब भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है।
रिपब्लिकन के बीच, ट्रम्प की आप्रवासन कार्रवाइयों का समर्थन नस्लीय और जातीय लाइन्स से परे काफी अधिक है। उदाहरण के लिए, लगभग 91 प्रतिशत श्वेत रिपब्लिकन निर्वासन में वृद्धि का समर्थन करते हैं, और 92 प्रतिशत सीमा पर सैन्य उपस्थिति बढ़ाए जाने का समर्थन करते हैं। हिस्पैनिक रिपब्लिकन का समर्थन कम है, जिसमें केवल 69 प्रतिशत लोग निर्वासन बढ़ाने का समर्थन करते हैं और 75 प्रतिशत सीमा पर अतिरिक्त सैन्य बलों का समर्थन करते हैं। श्वेत रिपब्लिकन ने हिस्पैनिक रिपब्लिकन की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। केंद्र सरकार ने डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से हिंसा की घटनाओं से जूझ रहे मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गुरुवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा की।

केंद्र ने पिछले सप्ताह राज्य के मुख्यमंत्री वीरेन सिंह द्वारा इस्तीफा देने के बाद यह कदम उठाया है। अधिसूचना में कहा गया है कि यह कदम मणिपुर के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति

- मणिपुर के राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार राष्ट्रपति ने धारा 356 में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की घोषणा की।

को भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर उठाया गया है। राष्ट्रपति ने इस रिपोर्ट और अन्य जानकारी पर विचार करने के बाद संविधान के अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने का निर्णय लिया है। राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद विधानसभा के सभी अधिकार राज्यपाल की शक्तियों के तहत आ जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि मणिपुर में पिछले डेढ़ वर्ष से भी अधिक समय से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

भारत को यकीन है, ट्रम्प से मैत्री के कारण मोदी टैरिफ और व्यापार की दिक्कतों को लांघ जाएंगे

भारत को उम्मीद है कि मोदी और ट्रम्प की मैत्री दोनों देशों की राजनीतिक साझेदारी को नए मुकाम पर ले जाएगी



देश को विश्वास है कि मोदी की अमेरिका यात्रा में पहले की भांति मोदी और ट्रंप के संबंध मददगार साबित होंगे। टैरिफ व व्यापार की दिक्कतों को दूर करने के लिए।

वॉशिंगटन, 13 फरवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर वॉशिंगटन पहुंच गये हैं। इस दौरान वे अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प, अमेरिकी मंत्रिमंडल के सदस्यों और उद्योग जगत के नेताओं के

साथ बातचीत करेंगे। मोदी ने गुरुवार तड़के 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा कि वे ट्रम्प के साथ अपनी बातचीत और व्यापक द्विपक्षीय रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। उन्होंने लिखा कि, थोड़ी

- वॉशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने एक्स पर लिखी पोस्ट में कहा, वे डॉनल्ड ट्रम्प से मिलने और भारत अमेरिका के बीच वैश्विक साझेदारी बढ़ाने के लिए बेहद उत्सुक हैं।
- प्रधानमंत्री ब्लेयर हाउस में ठहरे हैं, जहाँ भारी तादाद में प्रवासी भारतीयों ने उनका स्वागत किया।

देर पहले वॉशिंगटन डीसी में उतरा हूँ। राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प से मिलने और भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूँ। दोनों देश अपने लोगों के लाभ और हमारी दुनिया के बेहतर (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गौतम अडानी ने श्रीलंका के एक अरब डॉलर के पवन ऊर्जा प्रोजैक्ट से "विड्रॉ" किया

चर्चा है कि इस प्रोजैक्ट से हटकर वे मोदी सरकार को, एक और, "विवाद में पड़ने से बचा लेंगे

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 फरवरी। मोदी सरकार को और किसी तरह की शर्मिंदगी से बचने के लिए, गौतम अडानी के समूह की रिन्यूबल एनर्जी कंपनी, अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में प्रस्तावित दो पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लेने का निर्णय लिया है, क्योंकि श्रीलंका की नई सरकार ने अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कड़ी नीतियाँ अपनाई हैं।
कंपनी ने एक बयान में कहा, "अडानी ग्रीन एनर्जी ने अपनी बोर्ड की बैठक में श्रीलंका में रिन्यूबल एनर्जी विंड एनर्जी (पवन ऊर्जा) परियोजना और दो ट्रांसमिशन परियोजनाओं का आगे का काम रोकने का निर्णय लिया है।"
अडानी ने राजपक्ष के नेतृत्व वाली पूर्व श्रीलंकाई सरकार के कार्यकाल में ये प्रतिष्ठित परियोजनाएँ हासिल की थीं। राजपक्ष शासन को बड़े पैमाने पर लोगों के विरोध के कारण उखाड़ फेंका गया

- जब अडानी ग्रुप को यह प्रोजैक्ट मिला था, तो माना जा रहा था कि भारत सरकार की मदद से अडानी ग्रुप को यह प्रोजैक्ट मिला था।
- उस समय श्रीलंका के राष्ट्रपति राजपक्ष थे, पर, उनका तख्ता पलट कर, वामपंथी विचारधारा के नज़दीकी माने जाने वाले दिशानायके नये राष्ट्रपति बने और उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति द्वारा लगावाये गये सभी प्रोजैक्ट की नये सिरे से छानबीन शुरु कर दी।
- अडानी की कंपनी ने श्रीलंका को अपने प्रोजैक्ट से 0.0826 डॉलर प्रति किलोवाट घंटा की रेट से बिजली देने का अनुबंधन किया था, पर जब से अडानी के खिलाफ अफसरों को रिश्तवत देकर, भारी दाम पर बिजली बेचने का अभियोग पत्र दाखिल हुआ, श्रीलंका ने अनुबंधन को नये सिरे से देखना शुरु किया, तथा नई रेट 0.06 प्रति यूनिट निश्चित करने की तैयारी कर ली थी।

था। अब राष्ट्रपति अनुरा कुमारा गठबंधन सरकार पूर्व सरकार की सभी दिशानायके के नेतृत्व वाली नई वामपंथी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

लोकसभा की कार्यवाही दस मार्च तक स्थगित

नयी दिल्ली, 13 फरवरी। बजट सत्र का प्रथम चरण पूरा होने के बाद गुरुवार को लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक के लिये स्थगित कर दी गयी। अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्यवाही स्थगित करने से पहले कहा कि बजट सत्र के प्रथम चरण के दौरान अच्छे वातावरण में चर्चा की गयी। सदन की कार्यवाही 112 प्रतिशत रही।

- स्पीकर ओम बिड़ला ने बजट सत्र में सांसदों का सक्रिय भागीदारी करने के लिए आभार जताया।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर सदन में 17 घंटे 23 मिनट तक सार्थक चर्चा की गयी और इसमें 173 सदस्यों ने भाग लिया।
बिरला ने कहा कि इसी तरह बजट पर 16 घंटे 13 मिनट तक चर्चा की गयी और इस दौरान 170 सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभायी।
उन्होंने कहा कि वे अपेक्षा करते हैं कि इसी तरह सदस्यों के सहयोग से सदन की कार्यवाही आगे भी सुचारु रूप से चलेगी।

'आर.पी.एस.सी. के अफसरों के पेपर लीक में लिप्त होने के कारण एस.आई.भर्ती परीक्षा को तुरंत रद्द करना गलत उदाहरण स्थापित करेगा'

राज्य सरकार का यह भी कहना है कि एक परीक्षा रद्द करने से गिरफ्तार आर.पी.एस.सी. अफसरों की देखरेख में की गई सभी परीक्षाओं को रद्द करने का दबाव बढ़ेगा

-यादवेंद्र शर्मा-
जयपुर, 13 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट में एस.आई.भर्ती परीक्षा 2022 के संदर्भ में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए अदालत को कहा कि याचिकाकर्ताओं ने कई अवांछित कारणों से प्रेरित होकर याचिका दायर की हैं और याचिकाकर्ताओं का अपनी याचिका में यह संकेत करना कि राज्य सरकार मामले में जांच नहीं चाहती और परीक्षा रद्द करने के खिलाफ है, बिल्कुल ही बेबुनियाद है। अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने अदालत को कहा कि राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए पहले एस.आई.टी. द्वारा इसकी जांच कराई, फिर जांच के दौरान आर.पी.एस.सी. अफसरों की गिरफ्तारी करने में कोई संकोच नहीं दिखाया, महाधिवक्ता द्वारा इसी मामले पर विधिक सलाह भी ली और फिर छह मंत्रियों की जांच कमेटी भी बनाई। और

- ज्ञातव्य है कि आर.पी.एस.सी. अफसरों की गिरफ्तारी के बाद ही महाधिवक्ता ने सलाह दी थी कि परीक्षा को रद्द किया जाये।
- उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने महाधिवक्ता की राय और एस.ओ.जी.की रिपोर्ट के हवाले से कहा है कि आपराधिक पृष्ठभूमि के कई अभ्यर्थी भी एस.आई.भर्ती के तहत पुलिस में शामिल हो गए हैं, इसलिये यह पूरी परीक्षा रद्द कर दी जानी चाहिये।
- राज्य सरकार की ओर से यह भी कहा गया है कि याचिकाकर्ता भी मामले में लाभार्थी हैं और उन्होंने कई तथ्य छुपाकर याचिका दायर की हैं। जिससे यह चर्चा शुरू हो गई है कि पिछली गहलोत सरकार में रीट परीक्षा की जांच के लिये दायर की गई याचिकाओं की तरह ही, एक बार याचिकाओं के रद्द हो जाने के बाद किसी भी बड़े अधिकारी या नेता को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा जांच में भी हिलाई आ जायेगी।

आज राज्य सरकार के समक्ष इस मामले में परीक्षा रद्द करने का फैसला

विचाराधीन है इसलिए याचिकाकर्ताओं की याचिका अपरिपक्व भी है।
उल्लेखनीय है कि महाधिवक्ता के समक्ष ये सभी तथ्य मौजूद थे और सभी कानूनी जटिलताओं की जानकारी थी, उसके बावजूद उन्होंने राज्य सरकार को सलाह दी थी कि वह परीक्षा को रद्द करे और 2022 के विधान के अनुसार पुनः परीक्षा ले, ताकि अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सके। न्यायाधीश समीर जैन ने भी बहस के दौरान महाधिवक्ता द्वारा दी गई विधिक सलाह का जिक्र किया और कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.पी.एस.सी. के कानून और उस पर राज्य सरकार के रूख के संदर्भ में जानकारी दें। कल यह बहस जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एस.आई.भर्ती परीक्षा 2022 में पहली नियुक्तियाँ सितम्बर 2023 में ही दे दी गई थीं, परंतु (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कृषि उपज मंडियों के लिए 24 करोड़ रुपए स्वीकृत

जयपुर, 13 फरवरी। किसानों एवं व्यापारियों के लिए कृषि उपज मण्डी समितियों में अधिकाधिक सुविधाएं विकसित करने के क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 24 करोड़ रुपये से अधिक राशि के विकास कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री शर्मा ने कृषि उपज मण्डी समिति लालसोटी, भवानीमण्डी, देवली

- मु.मंत्री भजनलाल ने मंडियों के विकास कार्य के लिए यह राशि स्वीकृत की है।

एवं कोटपतली में आधारभूत ढ ंचा विकसित करने के लिए 7 करोड़ 27 लाख रुपये से अधिक की राशि स्वीकृत की है। साथ ही, कृषि उपज मण्डी समिति लूणकरणसर, श्रीकरणपुर, बीकानेर (अनाज), पूगल रोड (अनाज), बीकानेर, खाजुवाला, श्रीमाधोपुर, नोखा, श्रीद्वाराद्व एवं पदमपुर में सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य के लिए 16 करोड़ 73 लाख रुपये की स्वीकृति दी है। शर्मा द्वारा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

जाने-माने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत के लिए अब नया टारगेट है तमिलनाडु?

चर्चाओं के अनुसार, प्रशांत किशोर ने युवा फिल्म अभिनेता विजय से मुलाकात करके, तमिलनाडु की राजनीति में नई भूमिका की तलाश शुरु की है

-लक्ष्मण वैकट कुची-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 13 फरवरी। राजनेता प्रशांत किशोर के भीतर के राजनैतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी नज़रें तमिलनाडु की तरफ कर ली है। इस दक्षिणी राज्य में हालात यह है कि यहाँ कि एक प्रमुख द्रविड़ पार्टी अन्नाद्रमुक जो मुख्य विपक्षी दल भी है, बहुत कमजोर हो गई है। खासकर विभाजन के बाद। इसके अलावा भाजपा, जिसने वहाँ छोटे-छोटे दलों का गठबंधन बनाया है, को लगता है कि वह अन्नाद्रमुक की जगह ले सकती है और आगामी चुनाव में द्रमुक का सामना कर सकती है। एक ऐसा राज्य जहाँ राजनीति का

फिल्मों से गहरा संबंध है, वहाँ प्रशांत किशोर ने एक्टर विजय से मुलाकात की। विजय ने हाल ही में अपने राजनैतिक इरादे खुलकर जाहिर किए हैं। वे राज्य में मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि तमिलनाडु की राजनीति में एक खालीपन है, जिसमें एक युवा एवं ऊर्जावान राजनेता वह नया बदलाव ला सकता है, जिसके लिए यह राज्य तैयार रहा है।
यह तो कोई नहीं जानता कि अगर एक्टर विजय ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की तो उससे किसको नुकसान होगा और किसको फायदा होगा। एक्टर विजय और प्रशांत दोनों ने ही इस मुलाकात पर ज्यादा बात नहीं की, उन्होंने

- तमिलनाडु की राजनीति में अजीबो-गरीब स्थिति है। प्रमुख द्रविड़ पार्टी अन्नाद्रमुक लगातार अपना वोट खोती जा रही है। फिल्म स्टार विजय का मानना है कि 2026 के चुनाव में एक युवा नेता ही इस "वैक्यूम" को भर सकता है।
- इस महत्वाकांक्षा के तहत ही विजय, पूरे प्रदेश में अप्रैल माह में, एक सघन जनसंपर्क अभियान शुरु करेंगे तथा जगह-जगह ऑफिस खोलेंगे तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करेंगे।
- क्या प्रशांत, विजय व अन्नाद्रमुक को एक ही मंच पर लाने का काम करेंगे, जिसमें भाजपा की भी भूमिका हो सकती है।
- तीन पार्टियाँ: विजय, अन्नाद्रमुक व भाजपा अच्छी तरह जानती हैं कि अगर कोई गठबंधन नहीं हुआ और विजय अकेले ही लड़े तो एन्टी द्रमुक वोटों का विभाजन होगा और द्रमुक और मजबूत होगी और फिर ढाक के वो ही तीन पात रह जायेंगे।

कहा, यह शिष्टाचार मीटिंग थी। यह मुलाकात विजय की पार्टी के प्रचार प्रमुख आश्वव अर्जुन ने आयोजित की थी।

फिलहाल विजय अपनी पार्टी टीवीके का जनाधार बनाने में लगे हैं और पूरे राज्य में इसका नेटवर्क तैयार कर रहे हैं। इससे भी उनके इरादों का संकेत मिलता है। विजय तमिलनाडु में एक राजनैतिक ताकत बनना चाहते हैं और चूंकि अन्नाद्रमुक की लोकप्रियता घट रही है, इसलिए विजय की पार्टी के सफल होने की संभावना ज्यादा है। ऐसी स्थिति में प्रशांत किशोर अन्नाद्रमुक के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं, इन अफवाहों को देखते हुए कि प्रशांत किशोर इस बार जनता की अदालत में अन्नाद्रमुक का पक्ष रखेंगे। अन्नाद्रमुक, किशोर के साथ डील साईन करने के बेहद करीब है। पर सीधे (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समीर जैन ने भी बहस के दौरान महाधिवक्ता द्वारा दी गई विधिक सलाह का जिक्र किया और कहा कि अतिरिक्त महाधिवक्ता आर.पी.एस.सी. के कानून और उस पर राज्य सरकार के रूख के संदर्भ में जानकारी दें। कल यह बहस जारी रहेगी।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि एस.आई.भर्ती परीक्षा 2022 में पहली नियुक्तियाँ सितम्बर 2023 में ही दे दी गई थीं, परंतु (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

समरावता में ग्रामीणों पर कार्यवाही, हाई कोर्ट ने केस डायरी मांगी

जयपुर, 13 फरवरी। राजस्थान हाईकोर्ट ने देवली-उनीयारा विधानसभा सीट के लिए 13 नवंबर 2024 को हुए उपचुनाव के दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मोणा द्वारा एसडीएम को थपसू मारने की घटना के बाद समरावता में ग्रामीणों के खिलाफ हुई कार्रवाई को लेकर

- समरावता में ग्रामीणों के मतदान बहिष्कार पर प्रशासनिक कार्यवाही की सीबीआई जांच की मांग करते हुए याचिका दायर की गई है। उक्त याचिका की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने केस डायरी तलब की है।

सीबीआई जांच की मांग को लेकर दायर याचिका में राज्य सरकार से केस डायरी तलब की है। जस्टिस विनोद कुमार भारवाणी ने यह आदेश दिलखुश मोणा व (शेष अंतिम पृष्ठ पर)